सोशल आडिट निदेशालय

Phone No.: 0522-4003787
Mob.: 9453535353
E-mail: socialauditup@yahoo.in

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

पत्रांकः 75 / सो.आ.नि.–312 / 2013
दिनाँकः 20 जून, 2013

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अर्न्तगत कार्यों का सोशल आडिट कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से निर्गत पत्र संख्या 2962 / अड़तीस–7–12–324नरेगा / 2012टी0सी0 दिनांक 9–1–2013 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र में उल्लिखित शासनादेश संख्या 2245 / अड़तीस–7–2012–200नरेगा / 2009 दिनांक 4–10–2012 (प्रतिलिपि संलग्न) में शासन द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत हुए कार्यों के सोशल आडिट की नई व्यवस्था के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश दिनांक 4–10–2012 मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा–24 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मनरेगा लेखा परीक्षा नियम, 2011 में दिए गए प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

2– उक्त प्रस्तर–1 में संदर्भित नियमावली एवं शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अर्न्तगत ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल आडिट के लिए आडिट टीमों का गठन किया जाएगा। इन ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों के सदस्य उसी ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे, वरन् उसी न्याय पंचायत के अन्य ग्रामवासी होंगे। सोशल आडिट करने का दायित्व इसी ग्राम पंचायत टीम को सौंपा जाएगा। सोशल आडिट टीम को कार्यक्रम अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक के कम से कम 15 दिन पहले समस्त अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

3– स्पष्ट है कि पूर्व में जनपद के अधिकारियों द्वारा सोशल आडिट किए जाने की व्यवस्था को भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समाप्त किया जा चुका है और अब केवल पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों द्वारा यह कार्य किया जाना है। अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों एवं जांचों को भारत सरकार की वेबसाइट पर दिए गए सोशल आडिट प्रारूपों में कदापि लोड नहीं किया जाना चाहिए और केवल वही विवरण लोड किए जाने चाहिए जो सोशल आडिट टीमों द्वारा सोशल आडिट ग्रामसभा में निष्कर्ष के रूप में निकाले गए हैं।

4– भारत सरकार की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अर्न्तगत सोशल आडिट के कार्यक्रम के कलेण्डर का अनुमोदन निदेशक, सोशल आडिट से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ताकि भारत सरकार को भी निर्दिष्ट तिथियों पर Observer भेजने हेतु सूचित किया जा सके। सोशल आडिट को सम्पन्न कराने में जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिलाधिकारी)/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य विकास अधिकारी), खण्ड विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों का पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। अधिकारीगण सोशल आडिट की प्रक्रिया में केवल Facilitator के रूप में कार्य करेंगे। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न शासनादेशों एवं नियमावलियों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

5– यह देखने में आया है कि जनपदों द्वारा सोशल आडिट के सम्बन्ध में जो सूचना भेजी जा रही हैं उसमें अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण एवं जांचों को भी सोशल आडिट का नाम देते हुए सम्मिलित किया जा रहा है जबकि ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों द्वारा किया गया सोशल आडिट ही वास्तव में सोशल आडिट की परिभाषा के अर्न्तगत मान्य है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में विभागीय बैठक में जिला कार्यक्रम समन्वयकों (जिलाधिकारियों)/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयकों (मुख्य विकास अधिकारियों) एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को यथोचित निर्देश एवं मार्गदर्शन देने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिलाधिकारी), उत्तर प्रदेश।
2– समस्त अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य विकास अधिकारी), उ0प्र0।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

संख्या– 2245 /अड़तीस–7–2012–200नरेगा/2009

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांक 04 अक्टूबर, 2012

विषय–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कार्यो का सोशल आडिट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत तथा कन्वर्जेन्स विभाग (लाइन विभाग) द्वारा किये गये कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट) किए जाने हेतु शासनादेश संख्या–1390/अड़तीस–7–2012–200नरेगा/2009, दिनांक 04.07.2012 द्वारा ''उत्तर प्रदेश (मनरेगा) सोशल ऑडिट संगठन'' की स्थापना एक स्वतंत्र इकाई(सोसायटी) के रूप में की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम–2011'' (नियमावली) के प्राविधानों के अनुसार सोसाइटी द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यो की सोशल आडिट प्रकिया को प्रभावी एवं सशक्त बनाया जायेगा।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त नियमावली एवं समय–समय पर उनके द्वारा जारी निर्देशों तथा प्राप्त सुझावों पर विचारोपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट)/निगरानी समीक्षा की व्यवस्था हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–3124/38–7–2009–200/एनआरईजीए/09, दिनांकः 14–10–09 को अवक्रमित करते हुए सोशल आडिट हेतु जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नवत व्यवस्था की जाती हैः–

(क) जनपद स्तर पर व्यवस्थाः–

जनपद स्तर पर एक जिला समन्वयक (सोशल कोआर्डिनेटर) की नियुक्ति की जायेगी। नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती हैः–

(1) शैक्षिक अर्हता/अनुभव

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
(ख) जन समस्याओं से सम्बन्धित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।
(ग) ग्राम पंचायत सोशल आडिट टीम के ऐसे सदस्य, जिनके द्वारा कम से कम तीन सोशल आडिट सम्पादित की गयी हों, को भी जिला समन्वयक चयनित किया जा सकता है।
(घ) नियुक्ति हेतु सम्बन्धित जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(2) आरक्षण जिला समन्वयक उसी श्रेणी का होगा, जिस श्रेणी का जिला पंचायत अध्यक्ष का पद आरक्षित है।

(3) चयन समिति

1– जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2– मण्डलायुक्त द्वारा नामित किसी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/किसी प्रतिष्ठित संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3– मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य–सचिव

(4) चयन प्रक्रिया

चयन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर 15 दिन के भीतर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर चयन किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के एक माह के अंदर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति आदेश जारी किये जाएंगे।

(5) कर्तव्य एवं दायित्व

(1) जनपद के ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट हेतु प्रस्तावित वार्षिक कैलेण्डर जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से निदेशक, सोशल आडिट को समय से उपलब्ध कराना।

(2) जनपद के विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट कार्मिकों को प्रशिक्षित करना एवं जनपद में सोशल आडिट टीम को मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करना।

(3) सोशल आडिट सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु जिला समन्वयक के निर्देशन में वांछित कार्यवाहियॉ सुनिश्चित करना।

(4) सोशल आडिट कार्यवाहियों में इंगित महत्वपूर्ण कमियों, सुझावों, हानि तथा वित्तीय अनियमितता, धन के दुर्विनियोग, दुरूपयोग, व्यपहरण के प्रकरणों को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाना तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

(5) सोशल आडिट मानीटरिंग हेतु निर्धारित प्रारूपों पर सूचना का प्रेषण।

(6) जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य विकास अधिकारी/ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्दिष्ट किये गये अन्य कार्य।

(6) मानदेय तथा यात्रा भत्ता

जिला समन्वयक को प्रतिमाह रू0 12000/– मानदेय तथा रू0 3000/– नियत यात्रा भत्ता देय होगा।

(ख) विकास खण्ड स्तर पर व्यवस्था

विकास खण्ड स्तर पर एक ब्लाक समन्वयक (सोशल कोआर्डिनेटर) की नियुक्ति की जायेगी। नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती है:–

(1)– शैक्षिक अर्हता/अनुभव

1. न्यूनतम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण ।
2. जन समस्याओं से सम्बन्धित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा

संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो। चयन हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।

(2)– **आरक्षण**

ब्लाक समन्वयक उसी श्रेणी का होगा, जिस श्रेणी का ब्लाक प्रमुख का पद आरक्षित है।

(3)– **चयन समिति एवं चयन प्रक्रियाः–**

ब्लाक समन्वयक के पद हेतु चयन समिति का गठन तथा चयन की वही प्रक्रिया होगी जो जिला समन्वयक पद हेतु निर्धारित है।

(4)– **कर्तव्य एवं दायित्व**

(1) विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट कैलेण्डर के अनुसार सम्पन्न कराना।

(2) सोशल आडिट के लिए अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित कराना एवं सहयोग प्रदान करना।

(3) सोशल आडिट समिति, जो ग्राम पंचायत स्तर पर गठित है, के सदस्यों को सोशल आडिट के सत्यापन प्रक्रिया में मार्ग दर्शन करना।

(4) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सोशल आडिट प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्दिष्ट अन्य कार्य।

(5) **मानदेय तथा यात्रा भत्ता**

ब्लाक समन्वयक को रू0 8000/– मानदेय तथा रू0 2000/– नियत यात्रा भत्ता देय होगा।

(3)– ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्थाः–

(क)– सोशल आडिट टीम का गठनः–

ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पांच सदस्यीय सोशल आडिट टीम गठित की जाएगी, जिसका कार्यकाल 31 मार्च, 2014 तक होगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में पूर्व में सोशल आडिट टीम गठित है तो तात्कालिक प्रभाव से विघठित मानी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित की जाने वाली सोशल आडिट टीम में निम्न श्रेणी के सदस्य होंगेः–

	श्रेणी	संख्या
(1.)	सामान्य	एक
(2.)	अन्य पिछड़ा वर्ग	एक
(3.)	अनुसूचित जाति/जनजाति	एक
(4.)	महिला	एक
(5.)	श्रमिक	एक(जॉब कार्ड धारक जिसके द्वारा मनरेगान्तर्गत एक वर्ष में कम से कम 15 दिन का कार्य किया गया हो)

(ख) शैक्षिक अर्हताः–

सदस्य के रूप में चयन हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण होगी। श्रमिक के सदस्य के रूप में चयन हेतु शैक्षिक अर्हता का प्रतिबन्ध नहीं होगा। अन्य सदस्यों हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति शैक्षिक अर्हता को शिथिल कर सकती है।

ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के सदस्य उसी ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे, वरन् सम्बन्धित न्याय पंचायत की अन्य ग्राम पंचायत के निवासी होंगे।

(ग) चयन समितिः–

(i)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तरीय अधिकारी	**अध्यक्ष**
(ii)	जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कालेज/प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि	**सदस्य**
(iii)	खण्ड विकास अधिकारी	**सदस्य–सचिव**

(ड.) चयन प्रक्रिया

चयन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर 15 दिन के भीतर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के एक माह के अंदर चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ग्राम पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

(च) कर्तव्य एवं दायित्व

निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना जिसमें निम्नांकित सत्यापन किया जाना सम्मिलित हैः–

(1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों एवं एक निर्धारित समयावधि में किए गए भुगतानों का मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, जिनका नाम मस्टर रोल में सम्मिलित हो, से सम्पर्क करके सत्यापन कराना।

(2) मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।

(3) रोकड़बही, बैंक विवरण, बिलों, वाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण की शुद्धता का सत्यापन करना।

(4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल वाउचर्स या अन्य संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।

(5) मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।

यदि निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कराए गए कार्य बहुत कम हों तो किसी अन्य ग्राम पंचायत के मनरेगा कार्यों का सोशल आडिट भी सम्बन्धित एक ही टीम को सौंपा जा सकता है।

(छ) मानदेय

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति के प्रत्येक सदस्य को सोशल आडिट सम्पन्न कराने के लिये रू0 1,000/– प्रतिवर्ष मानदेय देय होगा।

D:\G.S.T\Go.doc

4– जिला समन्वयक तथा ब्लाक समन्वयक के सदस्यों की जो नियुक्तियॉ शासनादेश दिनांकः 14–10–2009 द्वारा की गयी है, पुनरोद्घाटित नहीं की जायेगी परन्तु जिला समन्वयक तथा ब्लाक समन्वयक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां शासनादेश संख्याः– 1390/अड़तीस– 7–2012–200 नरेगा/2009, दिनांक 04.07.2012 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए की जाएंगी।

5– सोशल आडिट की प्रगति समीक्षा प्रत्येक माह शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड स्तर पर नियमित रूप से मासिक समीक्षा की जाएगी।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्याः– 2245 (1)/अड़तीस–7–2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1.) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(2.) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3.) निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
(4.) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5.) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
(6.) समस्त परियोजना निदेशक/संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
(7.) वेब मास्टर, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8.) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

04/10/12

(गिरिजा शंकर त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

D:\G.S.T\Go.doc

संख्या– 2962/अड़तीस–7–12–324नरेगा/2012टी0सी0

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 09 जनवरी, 2013

विषयः–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का सोशल आडिट कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 की धारा–24 के अन्तर्गत मनरेगा लेखा परीक्षा नियम–2011 प्रख्यापित किये जा चुके है। उक्त नियमावली के नियम–3(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यो का सामाजिक लेखा परीक्षा और वित्तीय वर्ष के दौरान की गई सोशल आडिट के निष्कर्षो का सारांश राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा को प्रेषित किया जाना अनिवार्य किया गया है। सोशल आडिट की सफलता पर राज्य सरकार को भविष्य में मनरेगा कार्यो के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की धनराशि का भी विनिश्चयन किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त, कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु भी सोशल आडिट कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना अपरिहार्य है।

2– इस संबंध में शासनादेश संख्या–2245/अड़तीस–7–2012–200नरेगा/2009, दिनांकः 04–10–2012, शासनादेश संख्या–2217/अड़तीस–7–2012–200नरेगा/2009, दिनांकः 04–10–2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें सोशल आडिट हेतु जिला/ब्लाक समन्वयकों के रिक्त पदों को भरने, ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों का गठन, प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त आडिट टीमों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक सोशल आडिट दिनांकः 15–03–2013 तक सम्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2....

3– शासन के संज्ञान में यह आया है कि सोशल आडिट के संबंध में निर्गत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुपालन में कतिपय जनपदों द्वारा वांछित तत्परता के साथ कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण अभी तक अनेक जनपदों में जिला/ब्लाक समन्वयकों के रिक्त पदों को नहीं भरा गया है और ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों का गठन भी नहीं किया गया है। आप सहमत होंगे कि यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः इस संबंध में अनुरोध है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोंजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो के सोशल आडिट के संबंध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जिला/ब्लाक समन्वयकों की नियुक्ति, ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों के गठन एवं प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में तत्परता से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्याः 2962 (1)/अड़तीस–7–2012तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।